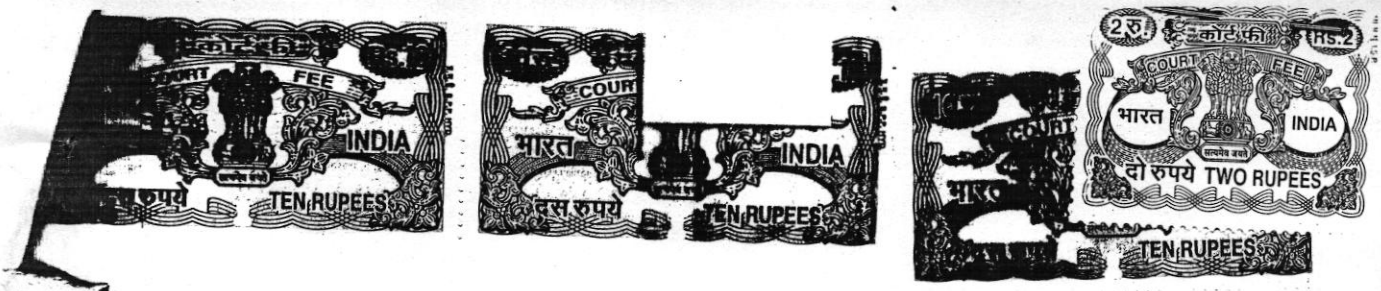

353

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण /2017 I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3915

1. इन्द्रेश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह

2. प्रेम सिंह पुत्र श्री गंगाराम दांगी

3. मनोज दांगी पुत्र गंगाराम दांगी

निवासीगण ग्राम—हरजाखेड़ी

तहसील—गुलाबगंज जिला—विदिशा

S.K. Vajpai Advocate
16.10.17

16.10.17

विरूद्व

1. मूलचन्द पुत्र बल्लू

2. पुतली बाई पत्नी मूलचन्द

निवासी ग्राम- हरजाखेड़ी तहसील- गुलाबगंज जिला- विदिशा (म.प्र.)

प. दि. 6-11-17

अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला—विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 122/बी—121/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 18/08/2017 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा—50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है—

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं मनमाना होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2. यह कि, हरजाखेडी, तहसील—गुलाबगंज, जिला—विदिशा की भूमि सर्वे क्रमांक—28 का कुल क्षेत्रफल लगभग 60 बीघा था जो अनेक भागो में बटांकित हो चुकी है जिसमें से 28/2/1, 28/2/2, 28/2/3, 28/2/4, 28/2/5 तथा उससे लगी हुयी भूमि सर्वे क्रमांक 27/4/1, 27/4/2 के आवेदकगण अभिलिखित भूमि स्वामी है।

16.10.17

3. यह कि, अनावेदकगण ने वर्ष—2000 में हुये तथाकथित पट्टे के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक—28/1/2 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया यह तथ्य निर्विवादित है कि वर्ष—2000 में हुये उक्त पट्टे के बाद अनावेदकगण को भूमि सर्वे क्रमांक—28 के किसी भी भाग पर आधिपत्य नहीं दिया गया था और ना ही उनका कभी आधिपत्य रहा है।

4. यह कि, अनावेदकगण ने भूमि सर्वे क्रमांक—28 के जिस भाग को पट्टे की भूमि होना कहते हुये उसका सीमांकन चाहा है वह भूखण्ड आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य का है अनावेदकगण ने प्रथम दृष्टया ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया कि जिस भाग का सीमांकन चाहा जा रहा है वह उन्हें पट्टे पर दी गयी थी तहसील न्यायालय ने अनावेदको के आवेदन पर

(353)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3915

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	